companies in an effective manner, which has become operational with effect from the 15th May, 1987.

(2) The Reserve Bank of India issued guidelines to the banks for strenghening the monitoring systems and for arresting industrial sickness at the incipient stage so that corrective measures are taken in time.

(3) The banks have also been directed by the Reserve Bank of India to formulate rehabilitation packages for the revival of potentially viable units. The banks and financial institutions evolve rehabilitation packages for the revival of sick units.

(4) Reserve Bank of India have also issued guidelines separately to the banks indicating parameters within which banks could grant reliefs and concessions for rehabilitation of potentially viable sick units without reference to RBI both in the large and small scale sector.

(5) Revival of sick industrial units is also done by amalgamation/merger of sick units with healthy units. Tax benefits are given under Section 72 (A) of the Income Tax Act, 1961 to the healthy company for revival of the amalgamating sick unit.

(6) Government has set up the National Renewal Fund which would, inter-alia, provide for payment of compensation to workers affected by industrial restructuring.

(7) On the advice of the Government of India, Reserve Bank of India has set up State Level Inter-Institutional Committees (SLIICs) in all States under the Chairmanship of Secretary, Industries Department of the concerned State Governments for working out a rehabilitation package for revival of viable sick small scale units.

(8) Financial assistance in the form of long term equity type assistance upto Rs. 1,50,000/- to units with a project cost not exceeding Rs. 10 lakhs at a nominal service charge of one per cent per annum is also available to potentially viable sick small scale industrial units from the National Equity Fund set up in August, 1987.

(9) Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has been established to function as an Apex Bank for tiny and small scale industries.

A separate Refinance Scheme for Rehabilitation (RSR) is being managed by SIDBI for revival of potentially viable sick small scale industrial units.

539. *[Transferred to 28th February, 1994]*

गुजरात में भारी उद्योगों की स्थापना

540. श्री गोपालसिंह जी सोलंकी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन सालों के दौरान गुजरात में बड़े भारी उद्योगों की स्थापना हेतु कुछ प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) गुजरात में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी हेतु वर्ष 1991 से 1993 के दौरान 360 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) 1.2.94 तक 208 आशय पत्र मंजूर किए गए हैं, 63 नामंजूर किए गए हैं और 73 के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं थे/वापस ले लिए गए थे।

सरकारी क्षेत्र के एककों का कार्य-निष्पादन

541. श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:
श्री वी॰ राजेश्वरी राव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में 1 फरवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान लाभ कमाया है या उन्हें हानि हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में एकक वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके बेहतर कार्य-निष्पादन के लिये और इनके घाटों को कम करने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाने का विचार रखती है;

(घ) क्या सरकार घाटा उठाने वाले एककों को बंद करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे एककों को कब तक बंद कर दिया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी उद्यमों ने वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक लाभ अर्जित किया है। अर्जित लाभ तथा एकक वार लाभ एवं हानि का ब्यौरा 23 फरवरी, 1994 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं. 18 एवं विवरणी पृष्ठ सं. 42 से 52 तक पर दिया गया है। सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु किए जाने वाले सामान्य उपायों का उल्लेख उक्त सर्वेक्षण की पृष्ठ सं. 150 पर किया गया है।

(घ) और (ङ) रुग्ण तथा घाटा उठाने वाले एककों को बन्द करने के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के निर्णय पर तथा प्रत्येक एकक को अंतिम तौर पर आर्थिक रूप से अक्षम मान लिए जाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर निर्भर करता है।

लघु रुग्ण औद्योगिक एककों के लिये पुनरुद्धार नीति

542. श्री अजीत जोगी:
श्री चौधरी हरि सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुद्धार के लिये पृथक नीति तैयार कर रही है;

(ख) क्या ऐसी नीति तैयार करते समय लघु एककों पर से सभी तरह के नियंत्रण समाप्त करने की वांछनीयता पर भी विचार किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार लघु रुग्ण एककों के लिये तैयार की गयी पृथक नीति की मुख्य-मुख्य विशेषताओं को प्रचारित करने का विचार रखती है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

तथापि, केन्द्र सरकार के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भूतपूर्व डिप्टी गवर्नर श्री पी. आर. नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, इसने सितंबर, 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ रुग्णता की समस्याओं तथा अन्य संबद्ध पहलुओं की जांच की थी। समिति ने रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन के लिए अनेक सिफारिशें की थीं जिनमें रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की एक संशोधित परिभाषा, बैंकों द्वारा अलग प्रकोष्ठों का सृजन, राज्य स्तर के न्यायाधिकरणों की स्थापना, शिकायतें दूर करने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों का एक मंच के रूप में प्रयोग, राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समिति को पुन: चालू करना, आदि शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ सिफारिशों पर अपने निर्णय की घोषणा पहले ही कर दी है, जैसे रुग्ण एककों के संशोधित परिभाषा, रुग्ण एककों के पुनर्वास पर वसूल की जाने वाली ब्याज की कम दर, एकक के रुग्ण होने का पता लगने के क्रमश: 3 माह और 6 माह के भीतर जीव्यता अध्ययन/उपचार कार्यक्रम आरंभ करना आदि।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Foreign investment and projects in India

543. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how much foreign investment in India is proposed to be made after the pronouncement of new Industrial Policy in 1991, with the total number of projects/amount of money likely to be invested;

(b) how many foreign projects, including collaboration projects, have actually come up during 1991 -93 and in the current year, with the number of projects/investments actually made; and

(c) the areas in which these projects have actually come up/are likely to come up, with separate figures of the number of projects/ investments made in the areas like (i) Infrastructure (ii) basic Industries (iii) consumer articles including food stuffs, etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c) Since the announcement of New Industrial Policy, 1679 proposals envisaging total foreign direct investment of Rs.13161.41 crores have been approved till December, 1993. Industry-wise break up of number of projects and foreign investment approved is given in the Annexure *[See* Appendix 170, Annexture No. 11].

These projects are at different stages of implementation depending upon their gestation